

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**औद्योगिक विकास अनुभाग-6**  
**संख्या: ३६/२०२२/२०७०/ ७७-६-२०२२-एल०सी०-०३/१८**

लखनऊ : दिनांक १७ अगस्त, २०२२

**अधिसूचना**

भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल अधिसूचना संख्या-2792/77-6-18-एल०सी०-०३/१८ दिनांक 16.07.2018 निर्गत तथा इसके क्रम में क्रमशः अधिसूचना संख्या-976/77-6-2019-एल०सी०-०३/२०१८ दिनांक 05.12.2019 तथा अधिसूचना संख्या-02/2021/126/77-6-21-एल०सी०-०३/२०१८टी.सी.-१ दिनांक 11.01.2021 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथासंशोधित) में निम्नवत् संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

स्तम्भ-१	स्तम्भ-२
<b>उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथासंशोधित) का मूल प्रस्तर</b>	<b>विद्यमान प्रस्तर</b>
<p><b>प्रस्तर 2.5</b> (उत्तर प्रदेश में उपलब्ध अवसर)</p> <p>उत्कृष्ट अवस्थापना, सुविधाओं एवं अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के साथ इस नीति का आशय रक्षा तथा एयरोस्पेस के निम्नलिखित क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>डिफेन्स रक्षा तकनीकी पार्क, जो रक्षा गलियारा नोड यथा कानपुर, झाँसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा तथा लखनऊ आदि व उनका अन्य जनपदों में विस्तार।</li> <li>रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (Defence PSUs) का विस्तारीकरण अथवा सहभागिता।</li> </ol>	<p><b>एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर</b></p> <p>उत्कृष्ट अवस्थापना, सुविधाओं एवं अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के साथ इस नीति का आशय रक्षा तथा एयरोस्पेस के निम्नलिखित क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>डिफेन्स रक्षा तकनीकी पार्क, जो रक्षा गलियारा नोड यथा कानपुर, झाँसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा तथा लखनऊ आदि व उनका अन्य जनपदों में विस्तार।</li> <li>रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (Defence PSUs) का विस्तारीकरण अथवा सहभागिता।</li> </ol>



	<p>3. डिफेन्स कॉरिडोर नोड जैसे कानपुर, झाँसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा तथा लखनऊ व अन्य जनपदों में इसके विस्तार की संभावना के साथ एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना।</p> <p>4. परीक्षण व प्रमाणीकरण केन्द्रों की स्थापना, जिसमें तोपखाने के लिए फॉयरिंग रेंज व अन्य सैन्य शस्त्र/उपस्कर हेतु फॉयरिंग रेंज को समाहित करते हुये परीक्षण व प्रमाणीकरण केन्द्र की स्थापना व विकास।</p> <p>5. UAV/ड्रोन के प्रारूपों का विकास विनिर्माण व परीक्षण सुविधायें।</p> <p>6. हवाई जहाज, हेलीकॉफ्टर का विनिर्माण अथवा उनके संयोजन (Assembling) व रख-रखाव की सुविधायें।</p> <p>7. रक्षा/सैन्य/एयरोस्पेस संबंधी यांत्रिक वाहनों उनके कलपुर्जों का संयुक्तीकरण और आनुषांगिक इकाईयों की स्थापना।</p> <p>8. पुलिस के आधुनिकीकरण व लघु तीव्रता के संघर्षों में उपयोग आने वाले उपकरण हथियार व संस्पर्शी (sensor) उपस्कर आदि का निर्माण।</p> <p>9. इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाएं (IT/ITeS) केन्द्र- आगरा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, नोएडा आदि में।</p> <p>10. इंजीनियरिंग केन्द्र-अलीगढ़ में धातु परिशुद्धता कार्य (Metal precision work), आगरा में ढलाई खाना (Foundry) इत्यादि।</p> <p>11. रक्षा एवं एयरोस्पेस परिक्षेत्र के लिए</p>
--	--

	<p>चमड़ों, वस्त्र, जूतों व अन्य तकनीकी आनुषांगिक उपकरणों के विनिर्माण केन्द्र।</p> <p>12. शस्त्र, शस्त्र प्रणाली, गोला बारूद व विध्वंसक व आनुषांगिक अवयवों के विनिर्माण का केन्द्र</p> <p>13. रक्षा व एयरोस्पेस सम्बन्धी विशिष्ट खाद्य पदार्थ के विनिर्माण व उनके पैकेजिंग केन्द्र की स्थापना</p>	<p>चमड़ों, वस्त्र, जूतों व अन्य तकनीकी आनुषांगिक उपकरणों के विनिर्माण केन्द्र।</p> <p>12. शस्त्र, शस्त्र प्रणाली, गोला बारूद व विध्वंसक व आनुषांगिक अवयवों के विनिर्माण का केन्द्र</p> <p>13. रक्षा व एयरोस्पेस सम्बन्धी विशिष्ट खाद्य पदार्थ के विनिर्माण व उनके पैकेजिंग केन्द्र की स्थापना</p> <p><b>नया उप प्रस्तर-14- रक्षा व एयरोस्पेस सम्बन्धित उपकरणों के लिए विशिष्ट पैकेजिंग उद्योग की स्थापना।</b></p>
<b>प्रस्तर-3.1 (नीति उद्देश्य)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर प्रदेश को रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र हेतु सर्वोत्तम गंतव्य के रूप में स्थापित करना।</li> <li>रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्रों के लिए निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन।</li> <li>बाजार के अंतर को कम करने तथा रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु राज्य में सहायक इकाइयों को उनसे जोड़ना।</li> <li>एक्सप्रेसवे व समर्पित रक्षा/एयरोस्पेस गलियारों के संरेखित क्षेत्र में फलने-फूलने वाले औद्योगिक समूहों की स्थापना व उन्हे सहूलियत देना।</li> <li>रक्षा क्षेत्र में निर्यातोन्मुख विनिर्माण आधार का विकास।</li> <li>एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण परियोजनाओं के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों (DPSUs) / ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (OFB) को राज्य में आकर्षित करना।</li> <li>रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में आनुषांगिक/सहायक उद्योग को प्रोत्साहन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर प्रदेश को रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र हेतु सर्वोत्तम गंतव्य के रूप में स्थापित करना।</li> <li>रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्रों के लिए निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन।</li> <li>बाजार के अंतर को कम करने तथा रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु राज्य में सहायक इकाइयों को उनसे जोड़ना।</li> <li>एक्सप्रेसवे व समर्पित रक्षा/एयरोस्पेस गलियारों के संरेखित क्षेत्र में फलने-फूलने वाले औद्योगिक समूहों की स्थापना व उन्हे सहूलियत देना।</li> <li>रक्षा क्षेत्र में निर्यातोन्मुख विनिर्माण आधार का विकास।</li> <li>एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण परियोजनाओं के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों (DPSUs) को राज्य में आकर्षित करना।</li> <li>रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में आनुषांगिक/सहायक उद्योग को प्रोत्साहन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास।</li> </ol>

3

<p>8. रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना तथा निरंतर प्रौद्योगिकी उन्नयन सुनिश्चित करना।</p> <p>9. रक्षा व एयरोस्पेस के परिक्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहन व तकनीकि उन्नयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आई.आई.टी. कानपुर व बी0एच0यू० वाराणसी व अन्य स्थानों पर तकनीकी सुगमता केन्द्र की स्थापना करना जिनका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में एम० एस०एम०ई० क्षेत्र व रक्षा/ एयरोस्पेस उद्योग को सहायता उपलब्ध कराना होगा।</p> <p>10. रक्षा व एयरोस्पेस व सामरिक ज्ञान क्षेत्र में कौशल विकास को विकसित करना तथा समर्थन के साथ-साथ प्रोत्साहित करना</p> <p>11. भारत में नवीन प्रोद्भूत आभार/ कर्तव्य (offset obligations) हेतु नामित कम्पनियों/ संस्थानों के सकल निवेश के सार्थक हिस्से के व्यापार को प्रदेश में आकर्षित करना।</p> <p>12. रक्षा एवं एयरोस्पेस विनिर्माण पार्क/समूह हेतु हवाई मार्ग सुविधा/सड़क/रेल यातायात को समृद्ध करने की सुविधा प्रदान किया जाना।</p> <p>13. प्रदेश में कार्यरत एम.एस.एम.ई. इकाईयों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से तथा प्रदेश में नई एम.एस. एम.ई. इकाईयों को आकर्षित करने के उद्देश्य से Common Facility Centers (CFCs) स्थापना की जायेगी जो सार्वभौम सुविधाओं तथा उत्पादक, डिजाईन, ज्ञान क्षेत्र का</p>	<p>8. रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना तथा निरंतर प्रौद्योगिकी उन्नयन सुनिश्चित करना।</p> <p>9. रक्षा व एयरोस्पेस के परिक्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहन व तकनीकि उन्नयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आई.आई.टी. कानपुर व बी0एच0यू० वाराणसी व अन्य स्थानों पर तकनीकी सुगमता केन्द्र की स्थापना करना जिनका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में एम० एस०एम०ई० क्षेत्र व रक्षा/ एयरोस्पेस उद्योग को सहायता उपलब्ध कराना होगा।</p> <p>10. रक्षा व एयरोस्पेस व सामरिक ज्ञान क्षेत्र में कौशल विकास को विकसित करना तथा समर्थन के साथ-साथ प्रोत्साहित करना</p> <p>11. भारत में नवीन प्रोद्भूत आभार/ कर्तव्य (offset obligations) हेतु नामित कम्पनियों/ संस्थानों के सकल निवेश के सार्थक हिस्से के व्यापार को प्रदेश में आकर्षित करना।</p> <p>12. रक्षा एवं एयरोस्पेस विनिर्माण पार्क/समूह हेतु हवाई मार्ग सुविधा/सड़क/रेल यातायात को समृद्ध करने की सुविधा प्रदान किया जाना।</p> <p>13. प्रदेश में कार्यरत एम.एस.एम.ई. इकाईयों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से तथा प्रदेश में नई एम.एस. एम.ई. इकाईयों को आकर्षित करने के उद्देश्य से Common Facility Centers (CFCs) स्थापना की जायेगी जो सार्वभौम सुविधाओं तथा उत्पादक, डिजाईन, ज्ञान क्षेत्र का अन्वेषण</p>
--	--

	<p>अन्वेषण प्रोटोटाइपिंग, समेकित विनिर्माण अन्वेषण व विकास केन्द्र व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना को सहूलियत प्रदान करे, साथ ही प्रशिक्षण केन्द्र, परीक्षण व प्रमाणन की सुविधा एम०एस०एम०ई० क्षेत्र को उपलब्ध कराना।</p>	<p>प्रोटोटाइपिंग, समेकित विनिर्माण अन्वेषण व विकास केन्द्र व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना को सहूलियत प्रदान करे, साथ ही प्रशिक्षण केन्द्र, परीक्षण व प्रमाणन की सुविधा एम०एस०एम०ई० क्षेत्र को उपलब्ध कराना।</p> <p><b>नया उप प्रस्तर-14</b></p> <p>प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के अन्तर्गत रक्षा एवं एयरोस्पेस इकाइयों को प्रोत्साहन एवं सहयोग देने के लिये राज्य, भारत सरकार की डिफेंस टेस्टिंग आधारभूत संरचना योजना में प्रतिभाग करेगा। इसके लिये योजना के प्राविधानों के अनुसार आवश्यक भूमि डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के नोड्स में दी जायेगी तथा इसकी स्थापना के लिये योजनानुसार वित्तीय सहायता भी प्रदान की जायेगी।</p>
<p><b>प्रस्तर-3.3 (परिभाषाएं) का उप प्रस्तर-2</b></p>	<p><b>3.3 परिभाषाएं</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>रक्षा तथा एयरोस्पेस उत्पादः</b> यह निर्धारित करने के लिए कि कोई उत्पाद/तकनीक रक्षा तथा/अथवा एयरोस्पेस की श्रेणी में है, भारत सरकार की किसी भी नीति, योजना अथवा किसी अन्य संबंधित प्रलेखों में सम्मिलित प्राविधानों/परिभाषाओं अथवा विदेशों में अधिकृत समकक्ष प्राविधानों को सन्दर्भित किया जाएगा। रक्षा/एयरोस्पेस इकाई उत्पादों में सामग्री, उपकरण/उपस्कर विनियोजन इकाई उप-संयोजक व उपस्कर समाहित होंगे। रक्षा/एयरोस्पेस इकाई उत्पादों में इन उत्पादों के परिवहन हेतु विशिष्ट लॉजिस्टिक्स वाहनों/संयंत्रों को भी सम्मिलित माना जाएगा।</li> <li><b>रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयाः</b> रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र की मूल्य-</li> </ol>	<p><b>3.3 परिभाषाएं</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>रक्षा तथा एयरोस्पेस उत्पादः</b> यह निर्धारित करने के लिए कि कोई उत्पाद/तकनीक रक्षा तथा/अथवा एयरोस्पेस की श्रेणी में है, भारत सरकार की किसी भी नीति, योजना अथवा किसी अन्य संबंधित प्रलेखों में सम्मिलित प्राविधानों/परिभाषाओं अथवा विदेशों में अधिकृत समकक्ष प्राविधानों को सन्दर्भित किया जाएगा। रक्षा/एयरोस्पेस इकाई उत्पादों में सामग्री, उपकरण/उपस्कर विनियोजन इकाई उप-संयोजक व उपस्कर समाहित होंगे। रक्षा/एयरोस्पेस इकाई उत्पादों में इन उत्पादों के परिवहन हेतु विशिष्ट लॉजिस्टिक्स वाहनों/संयंत्रों को भी सम्मिलित माना जाएगा।</li> <li><b>रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयाः</b> रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र की मूल्य-</li> </ol>





	<p>किया गया हो अथवा आपूर्ति आदेश प्राप्त किया हो।</p> <p>iv. सेना, नौसेना, वायुसेना / पैरामिलेट्री अधिष्ठान, डी.आर. डी.ओ., डी.ओ.ए. अथवा डी.ओ.एस. के लिए संरचना अथवा विकास का कार्य किया हो,</p> <p>v. भारतीय अथवा विदेशी मूल उपस्कर निर्माता के लिए परीक्षण अथवा प्रूफिंग सामग्री उपकरण कलपुर्जे अवयव / संयोजन (Assembly) / उप-संयोजन (Sub-Assembly) / उपस्कर की आपूर्ति किसी भारतीय / विदेशी रक्षा / एयरोस्पेस परिक्षेत्र जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, में आपूर्ति किया हो।</p>	<p>हो अथवा आपूर्ति आदेश प्राप्त किया हो।</p> <p>v. सेना, नौसेना, वायुसेना / पैरामिलेट्री अधिष्ठान, डी.आर. डी.ओ., डी.ओ.ए. अथवा डी.ओ.एस. के लिए संरचना अथवा विकास का कार्य किया हो,</p> <p>vi. भारतीय अथवा विदेशी मूल उपस्कर निर्माता के लिए परीक्षण अथवा प्रूफिंग सामग्री उपकरण कलपुर्जे अवयव / संयोजन (Assembly) / उप-संयोजन (Sub-Assembly) / उपस्कर की आपूर्ति किसी भारतीय / विदेशी रक्षा / एयरोस्पेस परिक्षेत्र जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, में आपूर्ति किया हो।</p> <p><b>नया उप प्रस्तर-vii</b></p> <p>डिफेंस एवं एयरोस्पेस क्षेत्र की ऐसी नई विनिर्माण इकाईयां जिन्होने रक्षा विनिर्माण के लिए लाईसेन्स प्राप्त कर लिया हो।</p>
<p><b>प्रस्तर-3.3 (परिभाषा)</b> का उप प्रस्तर-6</p>	<p>6. <b>सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) इकाइयां :</b></p> <p>भारत सरकार द्वारा एम.एस.एम.ई. अधिनियम 2006 के अन्तर्गत एम.एस.एम.ई. हेतु निर्धारित एम.एस.एम.ई परिभाषा का पालन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में समय-समय पर एम.एस.एम.ई की संशोधित परिभाषा स्वतः संशोधित मानी जायेगी।</p> <p>एक एम.एस.एम.ई. रक्षा तथा एयरोस्पेस आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करेगा, यदि विनिर्माण के परिणामस्वरूप प्राप्त कारोबार (Turnover) का</p>	<p><b>6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) इकाइयां :</b></p> <p>भारत सरकार द्वारा एम.एस.एम.ई. अधिनियम 2006 के अन्तर्गत एम.एस.एम.ई. हेतु निर्धारित एम.एस.एम.ई परिभाषा का पालन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में समय-समय पर एम.एस.एम.ई की संशोधित परिभाषा स्वतः संशोधित मानी जायेगी।</p> <p>एक एम.एस.एम.ई. रक्षा तथा एयरोस्पेस आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करेगा, यदि विनिर्माण के परिणामस्वरूप प्राप्त कारोबार (Turnover) का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंश रक्षा तथा एयरोस्पेस</p>

	<p>न्यूनतम 50 प्रतिशत् अंश रक्षा तथा एयरोस्पेस मूल्य श्रृंखला में मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई या एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई या वेण्डर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई या रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई/ <b>ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (OFB)</b> के लिए आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्जित किया गया हो।</p>	<p>मूल्य श्रृंखला में मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई या एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई या वेण्डर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई या रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के लिए आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्जित किया गया हो।</p>
<p><b>प्रस्तर-3.3</b> <b>(परिभाषाए)</b> का उप प्रस्तर-7</p>	<p>सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाईयां (डिफेन्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स)/ <b>ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (OFB)</b>: रक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम।</p>	<p>सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाईयां: (डिफेन्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स): रक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम।</p>
<p><b>प्रस्तर-5</b> <b>(डिफेन्स</b> <b>कॉरिडोर में</b> <b>निवेश करने</b> <b>वाली इकाईयों</b> <b>हेतु प्रोत्साहन)</b> का उप प्रस्तर-5.5</p>	<p><b>पूँजीगत उपादान</b></p> <p>रक्षा/एयरोस्पेस के परिक्षेत्र में नई एंकर इकाईयों के मामलों में पश्चसिरा (Back ended) पूँजीगत उपादान 10 प्रतिशत की दर से रु. 10.00 करोड़ की सीमा तक और नई वेण्डर/एम०एस०एम०ई० इकाईयों को 5 प्रतिशत की दर से 5 करोड़ रुपये की सीमा तक की दर से पश्चसिरा (Back ended) पूँजीगत उपादान अनुमन्य होगा (जिसकी गणना भूमि को छोड़कर अर्हकारी स्थावर आस्तियों के आधार पर की जायेगी)। यह व्यवसायिक उत्पादन शुरू होने पर देय होगा।</p> <p><b>बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र में</b> <b>स्थापित होने वाली</b> <b>रक्षा/एयरोस्पेस इकाईयों को</b> 15 प्रतिशत या 15 करोड़, जो भी कम हो, तथा वेण्डर/एम.एस.एम.ई. इकाईयों को 7.50 प्रतिशत या 7.50 करोड़ रुपये पश्चसिरा पूँजीगत उपादान, जो भी कम हो, अनुमन्य होगा।</p>	<p><b>पूँजीगत उपादान</b></p> <p>रक्षा/एयरोस्पेस के परिक्षेत्र में सभी रक्षा एवं एयरोस्पेस विनिर्माण इकाईयों के मामलों में पश्चसिरा (Back ended) पूँजीगत उपादान 7 प्रतिशत की सीमा (अधिकतम रु. 500 करोड़) तक अनुमन्य होगा (जिसकी गणना भूमि के मूल्य को छोड़कर अर्हकारी स्थावर आस्तियों के आधार पर की जायेगी)।</p> <p><b>बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र में स्थापित होने वाली सभी रक्षा एवं एयरोस्पेस विनिर्माण इकाईयों के मामलों में पश्चसिरा (Back ended) पूँजीगत उपादान 10 प्रतिशत की सीमा (अधिकतम रु. 500 करोड़) तक अनुमन्य होगा (जिसकी गणना भूमि के मूल्य को छोड़कर अर्हकारी स्थावर आस्तियों के आधार पर की जायेगी)।</b></p> <p>विनिर्माण इकाईयों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दिए जाने वाले पूँजीगत उपादान की राशि रु० 50 करोड़ से</p>

	<p>अधिक नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों में जहां देय उपादान की राशि रु. 50 करोड़ से अधिक है, उन्हें रु0 50 करोड़ से ऊपर की उपादान धनराशि अगले वित्तीय वर्षों में किश्तों में दी जाएगी।</p> <p>5.5(अ) इस नीति के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी की इकाईयों के लिए प्रस्तावित पात्र निवेश अवधि निम्नानुसार होगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>i. मेगा एंकर इकाईयों के प्रकरण में निवेश प्रारम्भ होने की तिथि, जो नीति की प्रभावी अवधि के भीतर हो, से 07 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि, जो भी पहले हो।</li><li>ii. एंकर इकाईयों के प्रकरण में निवेश प्रारम्भ होने की तिथि, जो नीति की प्रभावी अवधि के भीतर हो, से 05 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि, जो भी पहले हो।</li><li>iii. अन्य रक्षा/एयरोस्पेस इकाईयां (यथा एम०एस०एम०ई०/वेण्डर इकाईयों/स्टार्ट-अप्स) के प्रकरण में निवेश प्रारम्भ होने की तिथि, नीति की प्रभावी अवधि के भीतर हो से 04 वर्ष की अवधि अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि, जो भी पहले हो।</li></ol> <p>5.5(ब) औद्योगिक उपकरणों को यदि अपनी परियोजनाओं को विभिन्न चरणों में क्रियान्वित करना है तो इसका प्रस्ताव उन्हे डी०पी०आर० में आवेदन प्रस्तुत करने के समय इंगित करना होगा। इसके अतिरिक्त डी०पी०आर० में इंगित चरण उपरिलिखित पात्र निवेश</p>
--	---

		अवधि में पूर्ण किए जाने होंगे। ऐसे प्रकरणों में प्रत्येक चरण के पूर्ण होने तथा उस चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने पर ही उस चरण के अनुमन्य उपादान का संवितरण किया जाएगा।
प्रस्तर-11 (व्यवसाय में सहजता) का उप प्रस्तर-11. 5	निम्नलिखित गुणवत्ता युक्त Infrastructure सुविधायें यथा-132 के वी.ए. स्तर की विद्युत प्रणाली तंत्र जलापूर्ति, सड़क से कनेकटीविटी तथा भूमि के डिमार्केशन हेतु पिलरों के साथ प्रदान की जायेगी।	डिफेन्स नोड के अन्तर्गत अधिग्रहीत नवीन विकसित औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत प्रणाली तंत्र, जलापूर्ति, सीवर एवं सड़क की सुविधाएं दी जायेंगी। डिफेन्स नोड के अन्तर्गत अधिग्रहीत नवीन विकसित औद्योगिक क्षेत्र की भूमि के डिमार्केशन एवं सुरक्षा हेतु परिधीय (Peripheral) बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किया जायेगा।
प्रस्तर-12.3 के नोट 1	सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाईयों/आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओ.एफ. बी.) को अपनी सुविधाओं (परिक्षण सुविधाएं, प्रयोगशालाएं, सहायक सुविधाएं एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु सुविधाएं यथा-कर्मियों हेतु आवास इत्यादि) के निर्माण हेतु पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की जाएगी।	सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाईयों को अपनी सुविधाओं (परिक्षण सुविधाएं, प्रयोगशालाएं, सहायक सुविधाएं एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु सुविधाएं यथा-कर्मियों हेतु आवास इत्यादि) के निर्माण हेतु पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की जाएगी।

- 2— अधिसूचना निर्गत होने की तिथि के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन में आने वाली इकाईयों को ही पूंजीगत उपादान अनुमन्य होगा।
- 3— नीति के जिन-जिन प्रस्तरों में आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (OFB) का उल्लेख है उन्हें उन प्रस्तरों से विलोपित समझा जाएगा।
- 4— उन स्थानों पर जहां हवाई पट्टी/हवाई अड्डे का विकास प्रस्तावित है, के रेगुलेटर क्षेत्र/सीमावर्ती क्षेत्र (जिसे भारत सरकार के राजपत्र पर दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को अधिसूचित General Statutory Rules 751 E में परिभाषित किया गया है) में निर्माण अथवा विकास कार्य नियामक संस्थाओं से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात किया जाएगा।
- 5— अधिसूचना संख्या-2792 / 77-6-18-एल0सी0-03 / 18 दिनांक 16.07.2018 निर्गत तथा इसके क्रम में क्रमशः अधिसूचना संख्या-976 / 77-6-2019-एल0सी0-03 / 2018 दिनांक 05.12.2019 तथा अधिसूचना संख्या-02 / 2021 / 126 / 77-6-21-एल0सी0-03 / 2018टी.सी.-1

2

दिनांक 11.01.2021 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथासंशोधित) की शेष शर्ते एवं प्राविधान यथावत रहेंगे।

(अरविन्द कुमार)  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: ३६/२०२२/२०७०/७७-६-२०२२-एल०सी०-०३/१८, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू०पी० को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत नीति को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
9. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
10. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(रजनी कान्त पाण्डेय)  
अनु सचिव।